

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़,  
नया रायपुर-492002  
विज्ञापन

छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार बल आरक्षक संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद हेतु भर्ती एस0ओ0पी0 क्र0 21/2001 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर भर्ती नियम के संबंध में छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार

छत्तीसगढ़ पुलिस दूरसंचार बल में आरक्षक (दूरसंचार) संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले स्थानीय निवासी पुरुष/महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट [www.cgpolice.gov.in](http://www.cgpolice.gov.in) पर दिनांक 15/05/2018 से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

01. आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 15/05/2018  
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि– 14/06/2018 (समय 23:59 बजे तक)
02. परीक्षा स्थल – परीक्षा स्थल एवं अन्य कार्यक्रमों की जानकारी पुलिस विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।
03. परीक्षा शुल्क– सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग– रुपये 200/- (रु. दो सौ मात्र)  
अजा एवं अजजा वर्ग – रुपये 125/- (रु. एक सौ पच्चीस मात्र)

1. रिक्त पदों की संख्या :- चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाये (अ), (ब) एवं (स) अनुसार है।  
अंतिम चयन के समय वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

(अ) आरक्षक (दूस) संवर्ग छत्तीसगढ़ राज्य ।

सक	पदनाम	रिक्त पदों की वर्गवार संख्या				
		अनारक्षित	अपिव	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग
01	आरक्षक (दूरसंचार)	21	06	—	20	47
02	आरक्षक (एमटी)	01	01	—	—	02
03	डाटा एंट्री ऑपरेटर	—	—	—	01	01

नोट :- यह पद छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी/आवेदकों के लिए आरक्षित है।

(ब) आरक्षक (दूस) संवर्ग छत्तीसगढ़ राज्य (भारत रक्षित वाहिनी)

सक	पदनाम	रिक्त पदों की वर्गवार संख्या				
		अनारक्षित	अपिव	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग
01	आरक्षक (दूरसंचार)	33	11	09	25	78

नोट :- यह पद जिला बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव एवं कोण्डागांव के मूल निवासी/आवेदकों के लिए आरक्षित है।

(स) आरक्षक (दूस) संवर्ग छत्तीसगढ़ राज्य (भारत रक्षित वाहिनी)

सक	पदनाम	रिक्त पदों की वर्गवार संख्या				
		अनारक्षित	अपिव	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग
01	आरक्षक (दूरसंचार)	11	04	03	08	26

नोट :- यह पद जिला जशपुर, कोरिया (बैकुण्ठपुर), सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद एवं बलरामपुर के मूल निवासी/आवेदकों के लिए आरक्षित है।

02. आरक्षण :- भर्ती में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी नियम लागू होंगे ।

*Manish*  
14/05